अटल पेंशन योजना (एपीवाई) - योजना का विवरण

1. परिचय

1.1 भारत सरकार कामगार गरीबों की वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2011-12 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के 66वें दौर के अनुसार भारत में 47.29 करोड़ की कुल श्रमशक्ति का 88% असंगठित क्षेत्र में है लेकिन उनके लिए औपचारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था की कठिनाइयों को कम करने और वृद्धावस्था के लिए स्वेच्छा से बचत करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 में स्वावलंबन योजना शुरू की थी। हालांकि, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र में गारंटीशुदा पेंशन नहीं होने के कारण कवरेज अपर्याप्त है।

1.2 सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्र में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के शुरूआत की घोषणा की। यह घोषणा की गई कि सरकार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरूआत करेगी जो अंशदान और इसकी अवधि के आधार पर निश्चित पेंशन राशि प्रदान करेगी। एपीवाई में असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होते हैं, पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एपीवाई के अंतर्गत अंशदानकर्ताओं को 60 वर्ष की उम्र में प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000रुपए की स्थिर पेंशन राशि प्राप्त होगी और यह उनके एपीवाई में शामिल होने की उम्र और तदनुसार अंशदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी । एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के अंतर्गत किसी भी सदस्य द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी। इसमें सरकार द्वारा एक निश्चित न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी दी गई है। एपीवाई 1 जून 2015 से शुरू की जाएगी।

2. एपीवाई के फायदे

2.1 यदि कोई अंशदानकर्ता 18 वर्ष और 40 वर्ष की उम्र के बीच इसमें शामिल होता है एवं अंशदान करता है तो उसे 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच एक स्थिर पेंशन राशि प्राप्त होगी। अंशदान की मात्रा अलग-अलग होती है और यदि अंशदानकर्ता कम उम्र में इसमें

शामिल होता है तो अंशदान कम होगा एवं यदि वह विलंब से शामिल होता है तो यह अधिक होगा।

3. एपीवाई की पात्रता

3.1 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) बैंक के सभी खाताधारकों के लिए है । केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र अंशदानकर्ता के खाते में कुल अंशदान का 50% या 1000रुपए प्रतिवर्ष, दोनों में से जो कम हो, सह-अंशदान भी किया जाएगा । यह अंशदान 5 वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक उन अंशदानकर्ताओं के लिए किया जाएगा जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच एनपीएस में शामिल होते हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हों और आयकर दाता नहीं हों। तथापि यह योजना इस तारीख के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकार द्वारा सह-अंशदान बंद हो जाएगा ।

3.2 केंद्र के अभिलेख रखने वाली एजेंसी से पुष्टि प्राप्त होने के बाद पीएफडीआरए द्वारा सरकार के सह-अंशदान का भुगतान पात्र पी आर ए एन में किया जाएगा और यह पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार होगा ।

4. शामिल होने और अंशदान की अवधि

4.1 एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। योजना से बाहर निकलने (एक्जिट) और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 वर्ष होगी। इसलिए, एपीवाई के अंतर्गत किसी भी सदस्य द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।

5. एपीवाई का फोकस

5.1 इसके केंद्र बिंदु में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं ।

6. पंजीकरण और अंशदानकर्ता द्वारा भुगतान

6.1 पात्र श्रेणी के सभी बैंक खाताधारक ऑटो डेबिट सुविधा के साथ एपीवाई में शामिल हो सकते हैं। ऑटो डेबिट होने से अंशदान संग्रहण खर्च कम होता है। अंशदानकर्ता द्वारा नियत तारीख को अपने बचत बैंक खाते में अपेक्षित राशि रखना आवश्यक होगा ताकि वह विलम्बित भुगतान के अर्थ-दंड से बच सके। मासिक अंशदान की तारीख का निर्धारण पहले अंशदान की तारीख के अनुसार होगा। विनिर्दिष्ट अवधि में बार-बार चूक होने पर, खाते को

समय से पहले बंद कर दिया जाएगा और भारत सरकार का अंशदान, यदि कोई हो. को जब्त कर लिया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत फायदे के लिए उसकी पात्रता के संबंध में कोई मिथ्या घोषणा, चाहे जो कारण हो, होने से सरकार के अंशदान की राशि दांडिक ब्याज समेत जब्त कर ली जाएगी । पंजीकरण हेतु, लाभार्थियों, जीवनसाथी, और नामितियों की पहचान करने के लिए आधार एक प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज होगा, इससे भविष्य में अधिकार एवं पात्रता संबंधी विवाद से बचा जा सकेगा । अंशदानकर्ता को 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच मासिक पेंशन का विकल्प देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित मासिक अंशदान का नियमित रूप से भुगतान किया जाए । अंशदानकर्ता उपलब्ध मासिक पेंशन राशि के अनुसार संचय चरण के दौरान पेंशन राशि को घटा या बढ़ा सकता है, तथापि स्विच करने का यह विकल्प वर्ष में एक बार, अप्रैल माह में उपलब्ध होगा। प्रत्येक अंशदानकर्ता को एपीवाई में शामिल होने बाद एक पावती पर्ची दी जाएगी जिसपर गारंटीशुदा पेंशन की राशि, अंशदान भुगतान की नियत तारीख, पी आर ए एन आदि के बारे में निश्चित रूप में सूचना दर्ज होगी ।

7. पंजीकरण करनेवाली एजेंसी

7.1 स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रजेंस के सभी बिंदुओं (सेवा प्रदाता) और एग्रीगेटर्स द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के माध्यम से अंशदानकर्ताओं का पंजीकरण किया जाएगा । पीओपी या एग्रीगेटर्स के रूप में बैंक, बीसी / मौजूदा गैर-बैंकिंग एग्रीगेटर्स, माइक्रो बीमा एजेंटों, और म्यूचुअल फंड एजेंटों को परिचालन गतिविधियों के लिए सहयोगी के रूप में नियोजित कर सकता है। अगर उचित लगे तो पीएफआरडीए / सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन राशि को बैंक द्वारा साझा किया जा सकता है ।

8. एपीवाई का परिचालन फ्रेमवर्क

8.1 यह भारत सरकार की एक योजना है जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाती है। एनपीएस की संस्थागत संरचना एपीवाई के अंतर्गत अंशदानकर्ताओं को पंजीकृत करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। खाता खोलने के फार्म सहित एपीवाई का ऑफर दस्तावेज पीएफआरडीए द्वारा तैयार किया जाएगा ।

9. एपीवाई का वित्तपोषण

9.1 सरकार द्वारा (i) अंशदानकर्ता को निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी ; (ii) पात्र अंशदानकर्ताओं को कुल अंशदान का 50% या 1000 रुपए प्रतिवर्ष, दोनों में से जो कम हो,

का सह-अंशदान किया जाएगा; और (iii) एपीवाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अंशदान संग्रहण करने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहन सहित प्रचार और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

10. स्वावलंबन योजना के वर्तमान अंशदानकर्ताओं का एपीवाई में माइग्रेशन

10.1 स्वावलंबन योजना के सभी पंजीकृत अंशदानकर्ता, यदि पात्र हों, स्वत: एपीवाई में शामिल हो जाएंगे, वैसे उनके पास बाहर निकलने का विकल्प भी होगा। तथापि एपीवाई के अंतर्गत किसी भी अंशदानकर्ता को सरकार द्वारा 5 वर्ष से अधिक सह-अंशदान का फायदा प्राप्त नहीं होगा । इसका आशय यह है कि यदि स्वावलंबन लाभार्थी के रूप में उसे सरकार के सह-अशंदान का फायदा 1 वर्ष प्राप्त हो चुका है, तो एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा सह-अंशदान का फायदा उसे और 4 वर्ष प्राप्त हो सकेगा। प्रस्तावित एपीवाई से बाहर निकलने को इच्छुक वर्तमान स्वावलंबन लाभार्थी, यदि पात्र हों, को वर्ष 2016-17 तक सरकार द्वारा सह-अंशदान दिया जाएगा, और एनपीएस स्वावलंबन योजना तब तक जारी रहेगी जब तक इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति एक्जिट करने की उम्र के नहीं हो जाते हैं।

10.2 18-40 वर्ष उम्र के वर्तमान स्वावलंबन ग्राहक स्वत: एपीवाई में माइग्रेट हो जाएंगे । नई योजना में सहज माइग्रेशन के लिए, एसोसिएटेड एग्रीगेटर ऐसे अंशदानकर्ताओं को माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरा करने में सहायता करेंगे। वे अंशदानकर्ता अपने स्वावलंबन खाते को एपीवाई में स्थानांतरण के लिए पी आर ए एन विवरण के साथ निकटतम अधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।

10.3 40 वर्ष से अधिक उम्र के अंशदानकर्ता जो स्वावलंबन योजना से जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, वे एकमुश्त पूरी राशि की निकासी कर इस योजना से बाहर निकल सकते हैं, या 60 वर्ष की उम्र तक इस योजना से जुड़े भी रह सकते हैं, और वे इसकी वार्षिकी के लिए पात्र होंगे।

11. चूक के लिए अर्थ-दंड

11.1 एपीवाई के अंतर्गत, प्रत्येक अंशदानकर्ता को मासिक आधार पर अंशदान करने का विकल्प प्राप्त होगा । विलंब से भुगतान किए जाने पर बैंक अतिरिक्त राशि वसूल करेगा जो निम्नानुसार प्रति माह 1 रुपए से 10 रुपए तक होगी :

- प्रति माह 100 रुपए तक अंशदान के लिए 1 रुपए प्रति माह

- प्रति माह 101 रुपए से 500 रुपए तक अंशदान के लिए 2 रुपए प्रति माह
- प्रति माह 501 रुपए से 1000 रुपए तक अंशदान के लिए 5 रुपए प्रति माह
- प्रति माह 1001 रुपए से अधिक अंशदान के लिए 10 रुपए प्रति माह

ब्याज / अर्थ-दंड की निर्धारित राशि अंशदानकर्ता की पेंशन निधि का एक हिस्सा होगी ।

11.2 अंशदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होगी :

i 6 माह के बाद खाता फ्रीज हो जाएगा.।
ii 12 माह के बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा।
iii 24 माह के बाद खाता बंद हो जाएगा।

12. विलम्बित भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का परिचालन

12.1 एपीवाई माड्यूल द्वारा नियत तारीख को डिमांड सृजित होगा और तब तक डिमांड बना रहेगा जब तक अंशदानकर्ता के खाते से राशि की वसूली नहीं हो जाती है ।

12.2 प्रत्येक अंशदानकर्ता के लिए मासिक अंशदान की वसूली की नियत तारीख कैलेंडर माह की पहली तारीख / या अन्य कोई तारीख हो सकती है । बैंक माह के अंतिम दिन तक किसी तारीख को यह राशि वसूल कर सकता है । इसका अर्थ है कि माह में जब कभी खाते में राशि उपलब्ध हो, अंशदान की वसूली की जा सकती है ।

12.3 मासिक अंशदान की वसूली एफआईएफओ आधार पर की जाएगी यानी स्थायी प्रभार राशि, जैसा ऊपर उल्लिखित है, सहित नवीनतम देय किस्त की वसूली सबसे पहले की जाएगी।

12.4 किसी माह में एक से अधिक मासिक अंशदान की वसूली की जा सकती है बशर्ते कि राशि उपलब्ध हो। मासिक निर्धारित देय राशि,यदि कोई हो, सहित मासिक अंशदान की वसूली की जाएगी । सभी मामले में अंशदान स्थायी प्रभार सहित अंशदान की वसूली की जाएगी । यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। खाते में जब कभी राशि उपलब्ध हो, देय राशि की वसूली कर ली जाएगी ।

13. एपीवाई के अंतर्गत अंशदान का निवेश

13.1 सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधि द्वारा एपीवाई के अंतर्गत जमा राशि का प्रबंधन किया जाता है । अंशदानकर्ता के पास निवेश पैटर्न या पेंशन निधि के चयन करने का कोई विकल्प नहीं होता है ।

14. अंशदानकर्ताओं को निरंतर इंफॉर्मेशन अलर्ट

14.1 खाते में शेष राशि, अंशदान जमा होने आदि के बारे में अंशदानकर्ताओं को समय-समय पर एसएमएस अलर्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। आवश्यक होने पर अंशदानकर्ता गैर-वित्तीय विवरण जैसे-नामिती का नाम, पता, फोन नंबर आदि बदल सकता है ।

14.2 एपीवाई के अंतर्गत सभी अंशदानकर्ता मोबाइल से जुड़े होते हैं ताकि अंशदान करते समय, उनके खाते से ऑटो डेबिट होते समय और उनके खाता-शेष की जानकारी एसएमएस अलर्ट द्वारा उन्हें दी जा सके । .

15. एक्जिट और पेंशन भुगतान

15.1 60 वर्ष का होने पर, अंशदानकर्ता अपने बैंक से गारंटीशुदा मासिक पेंशन के भुगतान करने का अनुरोध करेगा ।

15.2 60 वर्ष की उम्र से पहले एक्जिट की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे- लाभार्थी की मृत्यु या प्राणलेवा बीमारी में इसकी अनुमति दी जा सकती है ।

16. शामिल होने की उम्र, अंशदान स्तर, स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामिती को कॉर्पस का प्रतिलाभ

16.1 अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को न्यूनतम स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका नीचे दी गई है । उदाहरणार्थ, यदि अंशदानकर्ता 18 वर्ष की उम्र में इस योजना में शामिल होता है, तो प्रति माह 1000 रुपए से 5000रुपए के बीच स्थिर मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे मासिक आधार पर 42रुपए और 210 रुपए के बीच की राशि जमा करनी होगी ।

लेकिन यदि अंशदानकर्ता 40 वर्ष की उम्र में इस योजना में शामिल होता है, तो समान स्थिर पेंशन स्तर के लिए उसे 291रुपए और 1,454 रुपए के बीच अंशदान करना पड़ेगा ।

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को प्रति माह 1000 रुपए स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका

शामिल होने की उम्र	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं और उनके जीवन साथी को मासिक पेंशन (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं के नामिती को कॉर्पस का सांकेतिक प्रतिलाभ (रुपए में)
18	42	42	1,000	1.7 लाख
20	40	50	1,000	1.7 लाख
25	35	76	1,000	1.7 लाख
30	30	116	1,000	1.7 लाख
35	25	181	1,000	1.7 लाख
40	20	291	1,000	1.7 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को प्रति माह 2000 रुपए स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका

शामिल होने की उम्र	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं और उनके जीवन साथी को मासिक पेंशन (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं के नामिती को कॉर्पस का सांकेतिक प्रतिलाभ (रुपए में)
18	42	84	2,000	3.4 लाख
20	40	100	2,000	3.4 लाख
25	35	151	2,000	3.4 लाख
30	30	231	2,000	3.4 लाख
35	25	362	2,000	3.4 लाख
40	20	582	2,000	3.4 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को प्रति माह 3000 रुपए स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका

शामिल होने की उम्र	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं और उनके जीवन साथी को मासिक पेंशन (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं के नामिती को कॉर्पस का सांकेतिक प्रतिलाभ (रुपए में)
18	42	126	3,000	5.1लाख
20	40	150	3,000	5.1 लाख
25	35	226	3,000	5.1 लाख
30	30	347	3,000	5.1 लाख
35	25	543	3,000	5.1 लाख
40	20	873	3,000	5.1 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को प्रति माह 4000 रुपए स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका

शामिल होने की उम्र	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं और उनके जीवन साथी को मासिक पेंशन (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं के नामिती को कॉर्पस का सांकेतिक प्रतिलाभ (रुपए में)
18	42	168	4,000	6.8 लाख
20	40	198	4,000	6.8 लाख
25	35	301	4,000	6.8 लाख
30	30	462	4,000	6.8 लाख
35	25	722	4,000	6.8 लाख
40	20	1164	4,000	6.8 लाख

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान स्तर, अंशदानकर्ता और उसके जीवनसाथी को प्रति माह 5000 रुपए स्थिर मासिक पेंशन और अंशदानकर्ता के नामितियों को कॉर्पस का प्रतिलाभ और अंशदान अवधि की तालिका

शामिल होने की उम्र	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं और उनके जीवन साथी को मासिक पेंशन (रुपए में)	अंशदानकर्ताओं के नामिती को कॉर्पस का सांकेतिक प्रतिलाभ (रुपए में)
18	42	210	5,000	8.5 लाख
20	40	248	5,000	8.5 लाख
25	35	376	5,000	8.5 लाख
30	30	577	5,000	8.5 लाख
35	25	902	5,000	8.5 लाख
40	20	1,454	5,000	8.5 लाख